संलग्नक-1 (8)

सं० 3050 ।१४–२–७८४।७२

प्रेषक,

श्री रघानी रंगनाथस्वामी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

मुख्य अरण्यपाल,
उ०प्र०,लखनऊ ।

वन अनुभाग –२ लखनऊ: दिनांक 1-8 अगस्त, १९७२

विषय:- मेसर्स हिन्दाल्को को १३२ के०वी०ट्रान्समिशन लाइन हेतु १५–८० एकड़ भूमि का हस्तांतरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं० जी–२७८।१४–३८, दिनांक २६–७–७२ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने मेसर्स हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड को १३२ के०वी०ट्रान्समिशन लाइन के लिए दुद्धी वन प्रभाग में पिपरी रेंज के सुरक्षा ब्लाक कम्पार्टमेन्ट सं० – १६ व १७ की १५–८० एकड़ भूमि निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

१– पट्टे की अवधि २५ वर्ष की होगी ।

२– पट्टेदार ६,४८० रु० प्रीमियम एवं ७०४ रु० वार्षिक किराया देगा।

३– पट्टेदार उक्त भूमि पर खड़े पेड़ों का मूल्य विक्री कर सहित ६८४७ रु० ३७ पै० देगा ।

४– पट्टे पर दिये जाने के उपरान्त भी उक्त भूमि रक्षित वन बनी रहेगी ।

५– पट्टेदार उचित मूल्य पर २,००० गैलन पीने का पानी प्रतिदिन फारेस्ट कालोनी को उपलब्ध करायेगा ।

२– प्रीमियम व किराये की उक्त धनराशि तथा पेड़ों का मूल्य प्राप्ति शीर्षक "LI – वन" के सम्बन्धित मुख्य उप शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

३– कृपया विलेख का आलेख्य शासन को भेज दें एवं पट्टेदार को निदेश दें कि वे ३२ रु० निरीक्षण शुल्क के रूप में ट्रेजरी में निम्नलिखित प्राप्ति लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करके ट्रेजरी चालान गवर्नमेन्ट एडवोकेट,उ०प्र० विधान भवन,लखनऊ के पास भेज दें :-

"१९– न्याय प्रशासन–प्रकीर्ण–निजी निकायों के लिए काम करने के लिये सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त फीस ।"

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

HINDALCO INDUSTRIES LTD. Sonebhadra 231217 RENUKOOT

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

क्र०प०उ०

४- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है जो उनके अशासकीय सं० ई-७।१८८१।दस-७२, दिनांक २८-८-७२ द्वारा प्राप्त है।

भवदीय,

ह०

(एस० एन० चक्रवर्ती)
अनु सचिव।

सं० (२)।१४-२-७६४।७२

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।

२- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग -७

३- अरण्यपाल, दक्षिणी वृत्त, उ०प्र०, इलाहाबाद के पास मुख्य अरण्यपाल, को सम्बोधित उनके पत्र सं० ५२७।द०वृ०।२५-५७(ए), दिनांक २०-५-७२ के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

ह०

(एस० एन० चक्रवर्ती)
अनु सचिव।

26097

संलग्नक-2 (9)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)

Phone 763149, 763148
763147, 763384
Fax No. 763149
बी- 1/72, सेक्टर 'के' अलीगंज,
B-1/72, Sector 'K' Aliganj
लखनऊ-226024
Lucknow-226024

दिनांक / Date 6 अक्टू0, 2000

पत्रावली सं0 / File No. 8बी/04/2074/2000/एफ.सी./ 1216

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)
उ0प्र0 शासन
बापू भवन
लखनऊ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गई 6.394 हे0 वनभूमि की लीज का नवीनीकरण हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 के पक्ष में किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या 413/14-2-2000-749/72 दिनांक 28.1.2000 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन कर उसे गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग में लाने हेतु भारत सरकार से वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति मांगी गयी है। नोडल अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 16.9.2000 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालना प्रेषित की है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2(दो) के तहत जनपद सोनभद्र में 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के खम्भे आदि लगाने हेतु 6.394 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति गैर वानिकी कार्यों के लिए निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 6.394x2=12.788 हे0 में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

(3) वन(संरक्षण) अधिनियम के संलग्नक -V के पारेषण लाइनों से सम्बन्धित दिशानिर्देशों का याचक विभाग द्वारा अनुपालना की जायेगी।

(4) याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रखरखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवजन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

.....2

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)

§5§ प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा ।

§6§ राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त यदि हो तो उसका पालन कि[या] जायेगा ।

भवदीय

§ धर्मेन्द्र प्रकाश §
उप वन संरक्षक §केन्द्रीय§

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक§एफ.सी.§, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, मिर्जापुर ।
4. आदेश पत्रावली ।

§ धर्मेन्द्र प्रकाश §
उप वन संरक्षक §केन्द्रीय§

प्रभागीय वन अधि हस्ताक्षर

18/10/2000

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रेनुकूट — 15 3126 19-10-2000

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

HINDALCO INDUSTRIES LTD. RENUKOOT Sonebhadra 231217

HINDALCO INDUSTRIES LTD. RENUKOOT Sonebhadra 231217

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

संलग्नक-3 (11)

संख्याः लीज-1-776/14-2-2000-749/72

प्रेषक,

श्री विष्णु प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र०शासन,लखनऊ।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त,
उ०प्र०,लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 02 मार्च ~~फरवरी~~, 2001.

विषयः- जनपद-सोनभद्र में 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे० वनभूमि की लीज का नवीनीकरण दिनांक 1-4-97 से दिनांक 31-3-2022 तक 25 वर्ष हेतु मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० के पक्ष में किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 2622/11डी-935(सोनभद्र), दिनांक 18-6-99 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 6.394 हे० वनभूमि की लीज का नवीनीकरण दिनांक 1-4-97 से 31-3-2022 तक (आगामी 25 वर्षों) के लिये किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/04/2074/2000 एफ.सी./726, दिनांक 6-10-2000 में प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर उसमें उल्लिखित शर्तों का समावेश करते हुये निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

(1)-लीज पर दिये जाने के बाद भी प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग उक्त याचक द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

(2)-याचक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उनके कर्मचारियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है तो उसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर याचक विभाग द्वारा देय होगा।

(3)-उक्त वनभूमि पट्टाधारक के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि पट्टाधारक को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि पट्टाधारक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो पट्टाधारक के लिये आवश्यक न रहे, [illegible] उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये प्रत्यावर्तित (वापस) कर दी जायेगी।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

HINDALCO INDUSTRIES LTD. RENUKOOT Sonebhadra 231217

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

HINDALCO INDUSTRIES LTD. Sonebhadra 231217

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

(4)-वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके प्रतिनिधियों को किसी भी समय उस क्षेत्र में आकर शर्तों, प्रस्तावित वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5)-प्रस्तावित वनभूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(6)-सम्बन्धित वन क्षेत्र में परियोजना पर कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिये वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिये पट्टाधारक द्वारा उन्हें ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य ईंधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।

(7)-वनभूमि पर यदि कोई वृक्ष खड़े हों और उनका पातन किया जाना आवश्यक हो तो वह केवल उ0प्र0 वन निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।

(8)-प्रस्तावित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निर्धारित कराकर मूल्य के 1(एक प्रतिशत) की दर से लीज रेंट लिया जायेगा। चूँकि प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है, अतः प्रीमियम नहीं वसूल किया जायेगा।

(9)-पट्टाधारक द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुये एक पट्टाविलेख का आलेख प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरण से विधीक्षित कराया जायेगा। ऐसे पट्टाविलेख के विधीक्षण हेतु न्याय(अनुभाग) को उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-190/7-सी0ओ0-89-5-89, दिनांक 19-6-1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क किये विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501-सेवायें और सेवा फीस-01-की गई सेवाओं के लिये भुगतानों की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख के साथ अवश्य कराई जायेगी।

(10)- वन(संरक्षण)अधिनियम-1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप यापक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अवनत वन में अर्थात् 6.35हे0×2= 12.700 हे0 में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

(11)- वन(संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत-2 के पारेषण पत्रों से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का यापक विभाग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)- यापक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

(13)- पट्टेदार उचित मूल्य पर 2000 गैलन पीने का पानी प्रतिदिन फारेस्ट कालोनी को उपलब्ध करायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-7-256/दस-2001, दिनांक: 2001 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

HINDALCO INDUSTRIES LTD. Sonebhadra 231217 RENUKOOT

क्रमशः ३/२

संख्याःजी०आई० 774(1)/14-2-उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1)-मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र) बी-1/72, सेक्टर "के" अलीगंज लखनऊ।

(2)-महालेखाकार(प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।

(3)-जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(4)-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, सोनभद्र।

(5)-वरिष्ठ अध्यक्ष, मै० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०23-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

(6)-वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7, उ०प्र०शासन।

आज्ञा से,

(विष्णु प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

HINDALCO INDUSTRIES LTD. Sonebhadra 231217 RENUKOOT

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट, सोनभद्र